बिहार सरकार,
पथ निर्माण विभाग

मुखर आदेश (Speaking Order)

श्री धर्मेन्द्र कुमार धर्मकान्त, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति : कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–2 C (डिहरी–तिलौथु एंव तिलौथु–रोहतास) पथ कार्य में पायी गयी त्रुटियों/अनियमितताओं के लिए प्रपत्र–'क' के तहत कुल दो आरोपों को गठित करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–264–सहपठित ज्ञापांक–5024 (ई) अनु0 दिनांक–24.10.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालित विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2673 (अनु0) दिनांक–27.08.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के तहत श्री धर्मकान्त के विरूद्ध गठित आरोपों के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी द्वारा यह अभिमत गठित किया गया कि Bitumen Content में आरोपित को पूर्ण रूप से दोषी मानना उचित प्रतीत नहीं होता है।

3. संचालन प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी की उक्त अभिमत में स्वभाविक रूप से आरोपी के आंशिक रूप से दोषी माने जाने का अभिमत अन्तर्निहित होने का परिचायक पाया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अन्तर्गत गठित आरोप के आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में श्री धर्मकान्त से विभागीय पत्रांक–7516 (ई०) अनु0, दिनांक–29.10.2018 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी।

4. श्री धर्मकान्त द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–19.11.2018 एवं पत्रांक–शून्य दिनांक 26.11.2018 के माध्यम से क्रमशः द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर एवं पूरक द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर/पूरक द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से निम्नवत् तथ्य/तर्क प्रस्तुत किये गये :–

(i) संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये परस्पर विरोधाभाषी तथ्यों/तर्को के आधार पर दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है।

(ii) उड़नदस्ता के गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन में अंकित बिटुमेन की औसत मात्रा, गठित आरोप पत्र में अंकित बिटुमेन की औसत मात्रा से भिन्न है तथा एक ही RD पर LHS, Centre और RHS में बिटुमेन प्रतिशत में अधिक अंतर है। इस प्रकार गलत जाँच प्रतिवेदन एवं गलत तथ्यों के आधार पर आरोप का गठन किया गया है।

(iii) उनके द्वारा समर्पित बचाव–बयान में अंकित तथ्यों को संचालन पदाधिकारी के द्वारा उचित मानते हुए बिटुमेन कन्टेन्ट में पायी गयी कमी के लिए मुख्य रूप से प्रमंडलीय गुण नियंत्रण इकाई को जिम्मेवार माना गया है, परन्तु बिना किसी ठोस आधार/तर्क/तथ्य/साक्ष्य के संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित को पूर्ण रूप से दोषी मानना उचित प्रतीत नहीं होता है– का अभिमत गठित किया गया है।

(iv) आलोच्य कार्य उनके द्वारा काफी प्रतिकूल स्थिति में सम्पन्न कराया गया था क्योंकि विषयांकित पथ (डिहरी–तिलौथु–रोहतास पथ) का सम्पूर्ण हिस्सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत था, जिसका उल्लेख उड़नदस्ता जाँचदल के द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन में भी किया गया है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री धर्मकान्त द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर की विभाग के स्तर पर विश्लेषण किया गया। विश्लोषणोंपरांत विषयांकित मामला तकनीकी प्रकृति का होने की स्थिति में श्री धर्मकान्त के विरूद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की सम्यक् रूप से तकनीकी समीक्षा की गयी।

6. विभागीय तकनीकी समीक्षा में मामले का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। अध्ययनोपरांत यह पाया गया कि श्री धर्मकान्त के द्वितीय कारण पृच्छा एवं पूरक द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में कोई नई बात नहीं कही गयी है। जिसके फलस्वरूप आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के संदर्भ में श्री धर्मकान्त को आरोप मुक्त किये जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है।

7. तद्‌लोक में प्रश्नगत मामले की सर्वांगीण विभागीय समीक्षा के उपरांत गठित आरोप के आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने के संदर्भ में कार्यालय आदेश संख्या–75 सहपठित ज्ञापांक–2110(ई०) दिनांक 14.03.2019 द्वारा "02 वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड संसूचित किया गया हैं।

8. श्री धर्मकान्त द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक 11.04.2019 के माध्यम् से विभाग द्वारा संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त अपील अभ्यावेदन के अन्तर्गत निम्न तथ्य/तर्क अंकित किया गया है :–

(i) संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत बिना कोई तकनीकी आधार के यह अभिमत गठित किया गया कि "Bitumen Content में आरोपित को पूर्ण रूप से दोषी मानना उचित प्रतीत नहीं होता है "।

(ii) द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर की समीक्षोपरांत विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा मंतव्य अंकित किया गया है कि "विभागीय तकनीकी समिति द्वारा मामलों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। अध्ययनोपरांत यह पाया गया कि श्री धर्मकान्त के द्वितीय कारण–पृच्छा एवं पूरक द्वितीय कारण–पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है।"

स्पष्ट है कि मेरे द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर में अंकित तथ्यों/तर्को को बिना कोई ठोस आधार पर खण्डन किया गया है।

(iii) प्रश्नगत गुणवत्ता जाँच–प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलोच्य पथ के एक ही RD पर LHS, Centre एवं RHS से लिये गये नमूनों की जाँच में प्राप्त बिटुमेन की औसत मात्रा में काफी अन्तर पाया गया है, जो तकनीकी रूप से संभव नहीं है। स्पष्ट है कि TRI का प्रश्नगत गुणवत्ता जाँचफल त्रुटिपूर्ण है।

(iv) विषयगत गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि निरीक्षण के क्रम में जाँच दल द्वारा संग्रह किये गये नमूनों से उड़नदस्ता प्रमंडल अथवा TRI के स्तर पर छेड़छाड़ किया गया है क्योंकि नमूना कोड BT/1891, BT/1893, BT/1907, BT/1908, BT/1914, BT/1915, BT/1919, BT/1920, BT/1924 एवं BT/1925 के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(v) TRI के द्वारा अलकतरा की जाँच के क्रम में IRC & MoRTH के प्रावधान के विपरित किसी अन्य प्रावधान/प्रक्रिया के अनुसार अलकतरा की जाँच की गयी है, जो नैसंगिक न्याय के विरूद्ध है।

9. श्री धर्मकान्त द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक–11.04.2019 पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–27.08.2019 को इनकी व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में इनके द्वारा पृथक रूप से कोई अन्य तथ्य/तर्क नहीं रखा गया। श्री धर्मकान्त द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों/बिन्दुओं के साथ–साथ इनके द्वारा पूर्व में समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा की समेकित समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री धर्मकान्त द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में पूर्व में रखे गये तथ्यों की ही पुनरावृत्ति की गयी है।

10. **अतः प्रस्तुत मामले में श्री धर्मेन्द कुमार धर्मकान्त, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ औरंगाबाद सम्प्रति कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 11.04.2019 में उनके द्वारा कोई नया तथ्य/साक्ष्य अथवा खण्डनयुक्त तर्क प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत इसे अस्वीकृत किया जाता है।**

ह०/–
(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–निग/सारा–1(पथ)एन0एच0–64/2014 (खण्ड) पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/निदेशक, प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा–13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी–ऑन–सोन/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–3, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा/मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3/6/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार, धर्मकान्त, कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–
निदेशक,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–निग/सारा–1(पथ)एन0एच0–64/2014(खण्ड) 8140(4) /पटना, दिनांक 06/9/19

प्रतिलिपिः–आई० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।